(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2022-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

i. आपूर्तिकर्ता ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के उपवाक्य (v) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और

ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दर से एकीकृत कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो ।";

2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) में “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;“

3) क्रमांक 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।“;

4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने आईसीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के उपवाक्य (v) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ______ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है ।“.

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

फा.सं. 190354/176/2022-टी आर यु

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि.

973 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।